"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2016—चैत्र 5, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2016

क्रमांक 192/631/अव./2014/1-8/स्था.—श्री पारसनाथ राम, उप सचिव, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग का दिनांक 02-11-2015 से 17-11-2015 तक 16 दिवस का (दिनांक 01-11-2015 के घोषित अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पारसनाथ राम आगामी आदेश तक उप सचिव, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

3. अवकाश अवधि में श्री पारसनाथ राम को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पारसनाथ राम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2016

क्रमांक 290/502/अव./2010/1-8/स्था.—श्री गोपाल सिंह, अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग का दिनांक 26-11-2015 से 13-12-2015 तक 18 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गोपाल सिंह आगामी आदेश तक अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री गोपाल सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गोपाल सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2016

क्रमांक 294/4074/अव./2014/1-8.—श्रीमती ज्योति ठाकुर सोरी, तत्कालीन विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 10-08-2015 से 12-08-2015 तक 03 दिवस एवं दिनांक 09-09-2015 से 11-09-2015 तक 03 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश की आवश्यक प्रविष्टि इनकी सेवा पुस्तिका में कर दी गई है.

नया रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2016

क्रमांक 296/276/अव./2010/1-8/स्था.—श्री अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का दिनांक 22-02-2016 से 27-02-2016 तक 06 दिवस का (दिनांक 20, 21, 28-02-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह आगामी आदेश तक अवर सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अरूण कुमार सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2016

क्रमांक 302/980/अव./2007/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 83-84/980/अव./2007/1-8/स्था, दिनांक 13-01-2016 द्वारा श्री डी. के. माथुर, उप सचिव, गृह विभाग को पूर्व में दिनांक 11-01-2016 से 22-01-2016 तक 12 दिवस का स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 23-01-2016 को 01 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. उक्त विभागीय आदेश दिनांक 13-01-2016 के पैरा-2, 3 एवं 4 यथावत् लागू होंगे.

नया रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2016

क्रमांक 304/53/अव./2013/1-8/स्था.—श्री सुरेन्द्र सिंह बाघे, अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का दिनांक 18-01-2016 से 30-01-2016 तक 13 दिवस का (दिनांक 16, 17, 31-01-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र सिंह बाघे आगामी आदेश तक अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सुरेन्द्र सिंह बाघे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्र सिंह बाघे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2016

क्रमांक 320/132/अव./2014/1-8/स्था.—श्री बी. आर. साहू, स्टाफ आफिसर, सामान्य प्रशासन विभाग (पूल) का निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

लघुकृत अवकाश	दिनांक 26-08-2015 से 27-09-2015 तक	33 दिवस
लघुकृत अवकाश	दिनांक 27-10-2015 से 05-01-2016 तक	71 दिवस

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. साहू आगामी आदेश तक स्टाफ आफिसर, सामान्य प्रशासन विभाग (पूल) के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बी. आर. साहू को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. साहू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2016

क्रमांक 334/113/अव./2003/1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, उप सचिव, वित्त विभाग का दिनांक 11-01-2016 से 25-01-2016 तक 15 दिवस का (दिनांक 09, 10, 26-01-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. आर. मालवीय आगामी आदेश तक उप सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जी आर. मालवीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. आर. मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2016

क्रमांक 336/372/अव./2012/1-8/स्था.—श्री मुकुंद गजभिये, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का दिनांक 08-02-2016 से 19-02-2016 तक 12 दिवस का (दिनांक 07, 20, 21-02-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मुकुंद गजभिये आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मुकुंद गजभिये को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकुंद गजभिये अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2016

क्रमांक 342/934/अव./2014/1-8/स्था.—श्री राजेश कुमार नारद, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग का दिनांक 27-01-2016 से 06-02-2016 तक 11 दिवस का (दिनांक 26-01-2016 एवं 07-02-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार नारद आगामी आदेश तक अवर सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राजेश कुमार नारद को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार नारद अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2016

क्रमांक 322/1547/अव./2015/1-8/स्था.—श्री आर. सी. लेवे, अवर सचिव, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का दिनांक 11-01-2016 से 17-01-2016 तक 07 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. लेवे आगामी आदेश तक अवर सचिव, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री आर. सी. लेवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. लेवे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2016

क्रमांक 348/624/अव./2010/1-8/स्था.—श्री एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 01-02-2016 से 12-02-2016 तक 12 दिवस का (दिनांक 31-01-2016 एवं 13, 14-02-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. चोपड़े आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एल. डी. चोपड़े को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एल. डी. चोपड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2016

क्रमांक 352/980/अव./2007/1-8/स्था.—श्री डी. के. माथुर, उप सचिव, गृह विभाग का दिनांक 08-02-2016 से 15-02-2016 तक 08 दिवस का (दिनांक 07-02-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. माथुर आगामी आदेश तक उप सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री डी. के. माथुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. के. माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2016

क्रमांक 360/978/अव./2009/1-8/स्था.—श्री पी. डी. पुरबिया, अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिनांक 11-02-2016 से 17-02-2016 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. डी. पुरबिया आगामी आदेश तक अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पी. डी. पुरबिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. डी. पुरबिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2016

क्रमांक 362/3131/अव./2015/1-8/स्था.—श्री राघवेन्द्र कुमार (रा.वि.से.), विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 26-10-2015 से 06-11-2015 तक 12 दिवस का (दिनांक 24, 25-10-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राघवेन्द्र कुमार आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राघवेन्द्र कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राघवेन्द्र कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 फरवरी 2016

क्रमांक/एफ 7-13/2015/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री मुकेश गुप्ता, भापुसे (1988) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण/एंटी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 19-10-2015 से 28-10-2015 तक कुल 10 दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए, दिनांक 17 एवं 18-10-2015 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गुप्ता आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण/एंटी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गुप्ता को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश गुप्ता, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2016

क्रमांक/516/889/2012/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे, महानिदेशक-सह-संचालक, लोक अभियोजन, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 24-03-2016 से 02-04-2016 तक कुल 10 दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये, दिनांक 23-03-2016 एवं 03-04-2016 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी आगामी आदेश तक महानिदेशक-सह-संचालक, लोक अभियोजन, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंसारी अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2016

क्रमांक एफ-7-01/2016/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री बालाजी राव सोमावर, भापुसे, राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, रायपुर, छत्तीसगढ़ को दिनांक 21-03-2016 से 29-03-2016 तक कुल 09 दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये, दिनांक 19 एवं 20-03-2016 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बालाजी राव सोमावर आगामी आदेश तक राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, रायपुर, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. श्री बालाजी राव सोमावर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोमावर अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुन्दानी, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2016

क्रमांक एफ 1-04/2015/10-भा.व.से.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री ए. एच. कपासी, भा.व.से. (1995) को दिनांक 03-09-2015 को मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान कर कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक में असंवर्गीय पद पर पदस्थ किया गया है. पदोन्नति उपरांत श्री ए. एच. कपासी, भा.व.से. (1995) को मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना) के संवर्गीय पद पर कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर में पदस्थ करता है.

2. श्री शिवशंकर धर बड़गैय्या, भा.व.से. (1997), वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार को उप वन संरक्षक (असंवर्गीय), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

3. श्री किशोर कुमार बिसेन, भा.व.से. (1998) संचालक सह वनमण्डलाधिकारी, जंगल सफारी, रायपुर को उप वन संरक्षक (असंवर्गीय), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

4. श्री जे. आर. नायक, भा.व.से. (2002) उप वन संरक्षक (रोकड़) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर को वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार के पद पर पदस्थ करता है.

5. श्रीमती एम. मर्सीबेला, भा.व.से. (2007) वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ संचालक सह वनमण्डलाधिकारी, जंगल सफारी, रायपुर (छ.ग.) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2016

क्रमांक 510/520/2016/16.—श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक Z-13025/39/2015-LR Cell दिनांक 12-01-2016 अनुसार भारत सरकार द्वारा "स्टार्ट-अप इंडिया" कार्यक्रम के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है, कि स्टार्टस-अप सेक्टर की इकाईयों को प्रोन्नत किये जाने हेतु उन्हें विशेष सहायता एवं छूट दिया जाये, ताकि उद्यमियों द्वारा नए "स्टार्ट-अप वेंचर्स" स्थापित किया जा सके जिससे देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो. भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) द्वारा प्रथमदृष्टया स्टार्ट-अप सेक्टर की इकाई उस इकाई को माना गया है, जो गत पांच वर्ष के भीतर गठित/पंजीकृत हुई हो तथा जिसका वार्षिक टर्न ओवर गत किसी भी वित्तीय वर्ष में रुपये 25/- करोड़ से अधिक न रहा हो. ऐसी इकाई टेक्नोलॉजी या बौद्धिक संपदा के माध्यम से नवीन उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा के क्षेत्र में नवाचार, विकास एवं उनके वाणिज्यीकरण हेतु कार्यरत होना चाहिए तथा यह इकाई किसी पूर्व स्थापित इकाई या व्यवसाय के विघटन या पुनर्निर्माण द्वारा निर्मित नहीं होना चाहिये.

भारत सरकार के उक्त निर्णय एवं परामर्श के परिप्रेक्ष्य में राज्य में नये उद्योगों एवं व्यवसायों के त्वरित विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन के क्षेत्राधिकार में स्थित "औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग" भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा परिभाषित "स्टार्ट-अप वेंचर्स" में निम्नलिखित श्रम अधिनियमों को निम्नानुसार प्रवर्तित करने का निर्देश देती है :—

क्र.	अधिनियम का नाम
1.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन)-1996
2.	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम-1979
3.	उपादान भुगतान अधिनियम 1972
4.	संविदा श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम-1970

2. स्थापना के प्रथम वर्ष में ऐसे "स्टार्ट-अप वेंचर्स" के द्वारा उपर्युक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऑन लाईन स्वअभिप्रमाणित अनुपालन प्रस्तुत करने पर इकना उपर्युक्त अधिनियमों में निरीक्षण नहीं किया जायेगा.

1. ऐसे "स्टार्ट-अप वेंचर्स" की स्थापना की द्वितीय वर्ष से तथा स्थापना के तीन वर्षो तक इनके द्वारा स्वअभिप्रमाणित ऑन लाईन विवरणी दाखिल करने की स्थिति में, श्रमायुक्त की पुर्वानुमति से ही वैसे गंभीर प्रकृति के मामलों में इनका निरीक्षण किया जा सकेगा जिसमें इन श्रम अधिनियमों के उल्लंघन की संपुष्टि योग्य लिखित शिकायत प्राप्त हुये हों.

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

नया रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2016

क्रमांक 537/371/2016/16.—औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के अंतर्गत निम्न तथा मध्यम श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों के लिए स्वअभिप्रमाणन की अनुमति देने की व्यवस्था निरूपित करने/अन्य पक्ष प्रमाण (Third Party Certification) की सुविधा अनुमान्य करने का परामर्श दिया गया है. इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न श्रम अधिनियमों में निरीक्षण की व्यवस्था के पुनर्स्थापन/पुनर्विचारण के प्रयोजनार्थ निम्न, मध्यम तथा उच्च श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाता है :—

उच्च/मध्यम/निम्न जोखिम वर्ग के कारखानें—

उच्च जोखिम—

(अ) कारखानें जो खतरनाक अथवा अत्यधिक खतरनाक प्रकृति के हैं, वे उच्च जोखिम वर्ग के अंतर्गत होंगे.

(ब) कारखानें जो खतरनाक न हों, परंतु वे जहां पर तालाबंधी, हड़ताल अथवा दुर्घटना हुआ हो.

निरीक्षण— उपरोक्त "अ" एवं "ब" वर्ग कारखाना हेतु निरीक्षण प्रत्येक वर्ष शतप्रतिशत किया जाना है.

मध्यम जोखिम— कारखानें जो खतरनाक प्रकृति के न हों परंतु 300 या 300 से अधिक श्रमिक हो किन्तु जहां पर किसी भी प्रकार दुर्घटना, हड़ताल अथवा तालाबंदी न हुआ हो वे मध्यम जोखिम वर्ग के अंतर्गत होंगे.

निरीक्षण—इस मध्यम जोखिम वर्ग के कारखानों का निरीक्षण शतप्रतिशत दो साल के अंतर्गत पूर्ण किया जाना है.

निम्न जोखिम — कारखानें जो खतरनाक प्रकृति के न हो परंतु 100 अथवा 100 से अधिक किन्तु 300 से कम श्रमिक हो एवं जहां पर किसी भी प्रकार दुर्घटना, हड़ताल अथवा तालाबंदी न हुआ हो वे निम्न जोखिम वर्ग के अंतर्गत होंगे.

निरीक्षण — इस निम्न जोखिम वर्ग के कारखानों का निरीक्षण शतप्रतिशत पांच साल के अंतर्गत पूर्ण किया जाना है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2016

क्रमांक/पं.-1204/पंग्राविवि/22/2016/163.—छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 70 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की

उप-धारा (3) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्र. AD 0-26, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों के परिशिष्ट में,—

1. भाग [ब] के खण्ड (ग) के सरल क्रमांक 3 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"3.	सामाजिक विज्ञान	कोई दो विषय — इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र."

2. भाग [ब] के खण्ड (ग) के सरल क्रमांक 8 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

(1)	(2)	(3)
"9.	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2016

क्रमांक/पं.-1204/पंग्राविवि/22/2016/164.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पं.-1204/पंग्राविवि/22/2016/163, दिनांक 14 मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 14th March 2016

No./P.-1204/PGVV/22/2016/163.—The following further draft amendment in the Chhattisgarh Teacher (Panchayat) Cadre (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2012, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is hereby, published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that said draft shall be taken into consideration after the expiry of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person, before the specified period during office hours by the office of the joint Secretary, Department of Panchayat & Rural Development, Government of Chhattisgarh, Room No. AD 0-26 Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In Annexure of the said rules,—

1. For serial number 3 and entries relating thereto of clause (c) of Para (B), the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
"3.	Social Science	Any two subjects-History, Geography, Economics or Political Science."

2. After serial number 8 of clause (c) of Para (B), the following shall be added, namely :—

(1)	(2)	(3)
"9.	Home Science	Home Science has been a subject in graduation level."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YACUB XESS, Deputy Secretary.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2016

क्रमांक एफ 2-47/2011/नौ/55-तीन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1987" में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में :—

1. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 13 के कॉलम (3) एवं (5) में, अंक "660" एवं "8000-13500" के स्थान पर, क्रमशः अंक एवं शब्द "1033" एवं "15600-39100+5400 ग्रेड वेतन" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 14 के कॉलम (3) एवं (5) में, अंक "16" एवं "8000-13500" के स्थान पर, क्रमशः अंक एवं शब्द "124" एवं "15600-39100+5400 ग्रेड वेतन" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 15 के कॉलम (3) एवं (5) में, अंक "6" एवं "8000-13500" के स्थान पर, क्रमशः अंक एवं शब्द "38" एवं "15600-39100+5400 ग्रेड वेतन" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. के. वर्मा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2016

क्रमांक एफ 2-47/2011/नौ/55-तीन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-03-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. के. वर्मा, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 4th March 2016

No. 2-47/2011/9/55-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendments in the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homoeopathy) (Gazetted) Services Recruitment Rules, 1987, namely :—

AMENDMENTS

In Schedule of the said rules :—

1. In Column (3) and (5) of Serial Number 13 of Schedule-I, for the figures “660” and “8000-13500”, the figures and words “1033” and “15600-39100+5400 Grade Pay” shall be substituted respectively.

2. In Column (3) and (5) of Serial Number 14 of Schedule-I, for the figures “16” and “8000-13500”, the figures and words “124” and “15600-39100+5400 Grade Pay” shall be substituted respectively.

3. In Column (3) and (5) of Serial Number 15 of Schedule-I, for the figures “6” and “8000-13500”, the figures and words “38” and “15600-39100+5400 Grade Pay” shall be substituted respectively.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
T. K. VARMA, Joint Secretary.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 6-26/2014/वा.कर./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद से सहायक आयुक्त के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 15600-39100+ग्रेड वेतन रुपये 6600 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए उन्हें, उनके नाम के सामने कॉलम 3 में दर्शाये स्थान पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना (3)
1.	श्रीमती राखी अग्रवाल, वाणिज्यिक कर अधिकारी, जांजगीर वृत्त	सहायक आयुक्त, कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर संभाग क्र.-1
2.	श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव, अति. वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-3	सहायक आयुक्त कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर संभाग क्र.-2

(1)	(2)	(3)
3.	श्री एस. एल. वैश्य, वाणिज्यिक कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, दुर्ग संभाग
4.	श्रीमती मेरखा बाई टोप्पो, वाणिज्यिक कर अधिकारी, दुर्ग वृत्त-2	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, दुर्ग संभाग
5.	श्री जे. एस. चौहान, वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिलासपुर वृत्त-1	सहायक आयुक्त, कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर संभाग क्र.-1
6.	श्री जी. पी. अग्रवाल, वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-5	सहायक आयुक्त, कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर संभाग क्र.-2
7.	श्री बी. एल. राणा, वाणिज्यिक कर अधिकारी, जगदलपुर वृत्त-1	सहायक आयुक्त, कार्यालय, आयुक्त, वाणिज्यिक कर मुख्यालय, रायपुर.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में "छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003" की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-2/2003/1-3, दिनांक 26-11-2012 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति के संबंध में जारी किए गए रोस्टर तथा अन्य पूरक निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन किया गया है.

3. उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

नया रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 6-26/2014/वा.कर./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27-2-2016 के सरल क्रमांक-1 के कॉलम-3 में अंकित "सहायक आयुक्त, कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर संभाग क्र.-1" के स्थान पर "सहायक आयुक्त, कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, बिलासपुर संभाग क्र.-1" पढ़ा जाए.

2. आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 1-13/2013/25-1.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2013 के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग) के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित एवं अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यार्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक 02 वर्ष की परिवीक्षा पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान रुपये 9300-34,800 एवं ग्रेड पे 4400/- में अनन्तिम (Provisional) रूप से नियुक्त

किया जाकर कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नया रायपुर में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग की सूची का वरीयता क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1	श्री संजय कुमार राय आत्मज स्व. श्री देवनाथ राय, डी. सी. रोड, महावीर पारा, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) पिन 497001	अनारक्षित
2.	2	श्री भूपेन्द्र कुमार सोनवानी आत्मज श्री संतराम सोनवानी, मुकाम/पोस्ट-लवन, थाना कसडोल, जिला-बलौदाबाजार (छ.ग.) पिन 493526	अनुसूचित जाति

2. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जब छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

3. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा.

5. अभ्यर्थी का निर्धारित मापदण्ड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव नहीं होना पाया जाएगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी.

6. शासकीस सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारी "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2006 यथा संशोधित 2011" के प्रावधानों के तहत् शासित होगा.

7. उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय सक्षम अधिकारी के समक्ष मूल (स्थानीय) निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

8. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

9. चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

10. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में शासन के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है.

11. यह नियुक्तियां रिट पिटिशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. घोड़की, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 3 फरवरी 2016

क्रमांक/1483/02/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	लालपुरखुर्द प.ह.नं. 15	1.445	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कबीरधाम.	बोड़ला - मोहगांव बायपास मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.230 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.040
5, 6/2	0.020
102/2	0.108

(1)	(2)
24/1	0.049
39	0.049
88	0.081
104/1	0.020
129/5	0.020
1/2, 2	0.121
5, 6/3	0.034
20	0.058
22/3	0.024
40/1, 47/1	0.032
101/1	0.016
129/2	0.020
5, 6/1	0.075
22/2	0.010
25	0.043
24/2	0.008
48/1, 49/1	0.053
103/1	0.016
129/3	0.020
22/1	0.030
19	0.041
21	0.016
30, 38	0.061
86	0.162
103/2	0.016
129/4	0.020
योग 29	1.230

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मिरौनी बैराज के तहत् डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भदरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.790 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/1	0.028
3, 4/2ख	0.028
5, 6/3	0.036
44, 45/7	0.032
11	0.016
14	0.008
31/1	0.012
5, 6/1	0.071
52/1	0.144
43/2	0.028
49/1	0.069
49/2	0.069
33, 54/1क	0.052
40, 41, 42/4	0.223
44, 45/5क	0.046
44, 45/5ख	0.046
32/2	0.020
34, 35/2क	0.010
50	0.166
40, 41, 42/1	0.057
43/3	0.029
46/2	0.032
70/2, 71/2	0.093
46/5	0.032
48/2	0.069
55/3	0.101
53/2	0.149
67, 72	0.405
73, 74/2	0.348
1/2	0.604
3, 4/2ग	0.028
5, 6/4	0.036
8, 9/1	0.045
12/4	0.016
43/1	0.024
40, 41, 42/7	0.073
17, 18/1	0.061

(1)	(2)
17, 18/3	0.060
34, 35/2ख	0.010
55/4क	0.045
55/4ख	0.044
33, 54/1ख	0.053
40, 41, 42/6	0.073
545/1क	0.223
545/1ख	0.222
53/3	0.148
36/1	0.182
38/2	0.101
44, 45/1क	0.096
44, 45/3क	0.032
70/1, 71/1ख	0.020
46/4	0.032
70/4, 71/4	0.093
51	0.040
55/2	0.109
64, 65/2ख	0.141
70, 71/1क	0.016
545/2	0.692
2	0.223
5, 6/2	0.036
22/2	0.032
8, 9/2	0.044
13	0.008
15/4	0.008
40, 41, 42/2	0.219
44, 45/1ख	0.097
52/2	0.157
19/1	0.016
19/2	0.036
21/3	0.019
30/2	0.020
31/3क	0.012
545/3क	0.162
545/3ख	0.162
34, 35/1	0.101
38/1	0.020
44, 45/3ख	0.032
40, 41, 42/5	0.016
44, 45/6	0.101
70/1, 71/1ग	0.037
70/3, 71/3	0.093
47	0.138
52/3	0.144
63	0.049
64, 65/2क	0.142
70/1, 71/1घ	0.016
3, 4/1	0.202
44, 45/2	0.033
5, 6/5	0.036
8, 9/3	0.517
545/4	0.243
30/1	0.020
16/4क	0.012
17, 18/2	0.058
17, 18/4	0.059
20/1	0.036
20/2	0.037
48/3	0.035
31/4	0.012
36/2क	0.016
31/3ख	0.012
31/2	0.012
53/1	0.148
44, 45/4	0.064
39/1	0.105
40, 41, 42/3	0.223
46/1	0.036
46/3	0.032
16/5	0.024
48/1	0.034
55/1	0.105
64, 65/1	0.283
66	0.170
73, 74/1	0.348
योग 114	10.790

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मिरौनी बैराज के तहत् डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 फरवरी 2016

क्र. 21/चार/निरर्हित/2013-14/644.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली के आदेश संख्या 76/छ.ग.-वि.स./2013, दिनांक 08 फरवरी, 2016 द्वारा विधान सभा साधारण निर्वाचन-2013 में जिला कोरिया, सूरजपुर, महासमुन्द एवं गरियाबंद से निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थियों को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किया गया है. भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

निधि छिब्बर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 8 फरवरी 2016—19 माघ, 1937 (शक)

आदेश

सं. 76/छ.ग.-वि.स./2013—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2013 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यत: उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है.

अत: अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :—

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2013	1-भरतपुर सोनहत (अ.ज.जा.)	कृष्ण कुमार चेरवा, ग्राम-बड़वार, पो.-कटगोड़ी, तहसील-सोनहत, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	छत्तीसगढ़ विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2013	1-भरतपुर सोनहत (अ.ज.जा.)	रविशंकर सिंह कंवर निवासी-कन्नौज, तहसील-भरतपुर जिला-कोरिया, छत्तीसगढ.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
3.	—वही—	—वही—	लालमन सिंह नेताम निवासी-सोनहत, तहसील-सोनहत, जिला-कोरिया, छत्तीसगढ़.	—वही—
4.	—वही—	2-मनेन्द्रगढ़	डा. एल. पी. मौर्य, ग्राम-नार्थ झगराखाड़ दफाई नं.-1 वार्ड नं.-3, पो.आ.-नार्थ झगराखांड़, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया, छत्तीसगढ़.	—वही—
5.	—वही—	—वही—	सोनू सिंह उरांव (छक्का) मौहारपारा, वार्ड नं. 9, मनेन्द्रगढ़ जिला-कोरिया, छत्तीसगढ़.	—वही—
6.	—वही—	—वही—	धजाराम ग्राम-हल्दीबाड़ी आमानाला 4 नं., दफाई पो-डोमनहील, जिला-कोरिया, छत्तीसगढ़.	—वही—
7.	—वही—	4-प्रेम नगर	रामदयाल उईके ग्राम-सलका, पोस्ट-प्रेमनगर जिला-सूरजपुर छत्तीसगढ़.	—वही—
8.	—वही—	—वही—	हिरासाय प्रजापति ग्राम-रघुनाथपुर, थाना-प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
9.	—वही—	5-भटगांव	दिलेश्वर राम राजवाड़े कुमदा बस्ती, पोस्ट-गांगीकोट, तहसील-सूरजपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
10.	—वही—	—वही—	प्रदीप कुमार गुप्ता ग्राम-दर्रीपारा, पो.-दर्रीपारा भैयाथान, छत्तीसगढ़.	—वही—
11.	—वही—	—वही—	शिव कुमार, विश्रामपुर डिपार्टमेन्टल, म.नं.-521, पो.-विश्रामपुर जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
12.	—वही—	6-प्रतापपुर	देव शरणसिंह नेटी ग्राम-तोरफा, पोस्ट-गुड़रू, तहसील-वाड्रफनगर, जिला-बलरामपुर रामानुजगंज, छत्तीसगढ़.	—वही—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	छत्तीसगढ़ विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2013	39-सरायपाली	रोहिदास चौहान, ग्राम व पोस्ट भंवरपुर, तहसील-बसना (सरायपाली) जिला-महासमुन्द, छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
14.	—वही—	54-राजिम	भुनेश्वर यादव ग्रा-धवलपुर, थाना-मैनपुर, तह.-गरियाबंद, जिला-गरियाबंद, छत्तीसगढ़.	—वही—
15.	—वही—	55-बिन्द्रानवागढ़	चित्रसेन नागेश ग्राम-सिहारलटी, डाकघर-धुरवागुड़ी थाना-देवभोग, जिला-गरियाबंद, छत्तीसगढ़.	—वही—
16.	—वही—	—वही—	महेन्द्र नेताम, ग्राम-चलकी पारा, पोस्ट-जिडार, थाना-मैनपुर, तहसील-मैनपुर जिला-गरियाबंद, छत्तीसगढ़	—वही—
17.	—वही—	—वही—	रामेश्वर सिंह कोमर्रा, ग्राम-पारागांव डीह, पोस्ट-धवलपुर, थाना-मैनपुर, तहसील-मैनपुर जिला-गरियाबंद, छत्तीसगढ़.	—वही—
18.	—वही—	—वही—	दैनिक राम मण्डावी ग्राम-कोकड़ी, पो.आ.-गौरगांव तहसील-मैनपुर, थाना शोभा, जिला-गरियाबंद, छत्तीसगढ़.	—वही—

आदेश से,

हस्ता./-
(आर. के. श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 8th February 2016—19 Magha, 1937 (Saka)

ORDER

No. 76/CG-LA/2013.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2013 from the State of Chhattisgarh as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, or after considering the representation if any, made by them, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

S. No.	Particulars of Election	Number & Name of the Assembly Constituency	Name & Address of the Candidate	Reason of disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the Legislative Assembly 2013 from the State of Chhattisgarh.	1-Bharatpur Sonhat (ST)	Krishna Kumar Cherwa Village-Badwar Post-Katgodi, Distt-Korea Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of Election expenses
2.	—do—	—do—	Ravishankar Singh Kanwar Residence-Kannoj, Tahsil-Bharatpur, Distt.-Korea Chhattisgarh.	—do—
3.	—do—	—do—	Lalman Sing Natam Residence-Sonhat, Tahsil-Sonhat, Distt.-Korea Chhattisgarh.	—do—
4.	—do—	2-Manendragarh	Dr. L. P. Mourya Gram-North Jhagrakhand Dafai No.-1, Ward No. 03 Tehsil-Manendragarh Distt.-Korea Chhattisgarh.	—do—
5.	—do—	—do—	Sonu Sing Orauv (Chhakka) Mouharpara Ward No.-9 Manendragarh, Distt.-Korea, Chhattisgarh.	—do—
6.	—do—	—do—	Dhajaram Gram-Haldibadi Aamanala 4 No.-Dafai, PO-Domanhil Distt.-Korea, Chhattisgarh.	—do—
7.	—do—	4-Premnagar	Ramdayal Uike Vill.-Salka, Post-Premnagar Distt.-Surajpur , Chhattisgarh.	—do—
8.	—do—	—do—	Hirasai Prajapati Vill.-Raghunathpur, Thana-Premnagar, Distt.-Surajpur, Chhattisgarh.	—do—
9.	—do—	5-Bhatgaon	Dileshwar Ram Rajwade Kumda Basti, PO.-Gangikot, Tah.-Surajpur, Chhattisgarh.	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	General Election to the Legislative Assembly 2013 from the State of Chhattisgarh.	5-Bhatgaon	Pradeep Kumar Gupta Vill.-Darripara, PO.-Dharripara Bhaiyathan Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of Election expenses
11.	—do—	—do—	Shiv Kumar Bishrampur Dipartmental House No.-521, PO.-Bishrampur Distt.-Surajpur Chhattisgarh.	—do—
12.	—do—	6-Pratappur	Devsharan Singh Neti Gram-Torpha, Post-Gudru Tahsil-Wadrafnagar, District-Balrampur-Ramanujgan, Chhattisgarh.	—do—
13.	—do—	39-Saraipali	Rohidas Chouhan Vill & Post-Bhanvarpur Tah.-Basna, Distt.-Mahasamund Chhattisgarh.	—do—
14.	—do—	54-Rajim	Bhuneshwar Yadav Village-Dhawalpur, Thana-Mainpur, Tahsil-Gariaband Distt.-Gariaband, Chhattisgarh.	—do—
15.	—do—	55-Bindranavagarh	Chitrasen Nagesh Gram-Siharlati, Post-Dhuravagudi Thana-Devbog, Distt.-Gariaband Chhattisgarh.	—do—
16.	—do—	—do—	Mahendra Netam Gram-Chalki Para, Post-Zidar Thana-Maipur, Tah.-Maipur Distt.-Gariaband, Chhattisgarh.	—do—
17.	—do—	—do—	Rameshwar Sing Komarra Gram-Paragav Dih, Post-Dhvalpur Thaha-Maipur, Tah.-Maipur Distt.-Gariaband, Chhattisgarh.	—do—
18.	—do—	—do—	Dainik Ram Mandavi Gram-Kokdi, Post Office-Gaurgav, Tah.-Maipur, Thana-Shobha Distt.-Gariband, Chhattisgarh.	—do—

By order,

Sd/-

(R. K. SHRIVASTAVA)
Principal Secretary,
Election Commission of India.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 5 मार्च 2016

क्रमांक 1206/ज्ये.लि. 1/2016.—जिले में गर्मी एवं वर्षा के मौसम प्रारम्भ होते ही जल-जनित संक्रामक रोग जैसे उल्टी-दस्त, आन्त्रशोध, पीलिया आदि के फैलने का खतरा प्रारंभ हो जाता है. गर्मी एवं वर्षा ऋतु में इन बिमारियों के महामारी का रूप धारण करने की संभावना रहती है, और इन पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण के उपाय हर स्तर पर किया जाना आवश्यक है. अतः छत्तीसगढ़ आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध अधिनियम 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए मैं मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन सम्पूर्ण राजनांदगांव जिला को 6 माह (छः माह) की अवधि के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं.

2. जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाजारों तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टैंडों के होटलों, दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों एवं अन्य साधनों से सड़े-गले फल, मानव खाद्य के लिऐ रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग-सब्जियां, मिष्ठान, मॉस मछलियों, अनाज, रोटी मानवीय उपयोग के लिये पेय पदार्थ जैसे-बर्फ, आईसक्रीम शीतल पेय, गंदा गन्नारस, आदि बेचे जाने से हैजा, आंत्रशोध, पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए छ.ग. आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध विनियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात् मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय राजनांदगांव, खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के समस्त नगर निगम क्षेत्र/ नगर पालिका/नगर पंचायत, अधिकारियों को निरीक्षण एवं सघन अभियान व प्रचार-प्रसार चलाने के लिये निर्देश दिये जाते हैं.

3. जिले के महत्वपूर्ण रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टीका लगाने की समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

4. यह आदेश पूर्व सावधानी उपाय के रूप में प्रसारित किया जा रहा है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

मुकेश बंसल,
कलेक्टर.